रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939
No. 06] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 07(अ).—केन्द्रीय सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) नियम, 2014 (जिसमें इसके पश्चात् इसे उक्त नियम कहा गया है), नियम 5 के उप-नियम (2) में शब्दों के स्थान पर "तीन लाख और पिछत्तर रुपये" शब्द "चार लाख रुपये" रखे जाएंगे :

परंतु विद्यमान पूर्णकालिक सदस्य 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त इस नियम के अधीन वेतन के लिए हकदार होगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) उप-नियम (1) में, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान "शीर्ष श्रेणी [अस्सी हजार रुपये (नियत) प्रतिमाह]" शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17" रखे जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (2) में, शब्दों के स्थान पर "तीन प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ वेतनमान सड़सठ हजार रुपये" शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15" रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य भारत से बाहर विदेशी दौरा केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के वचनबंध करेगा और अध्यक्ष के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 और पूर्णकालिक सदस्य के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में वे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए यथा लागू ऐसे दौरों के सम्बन्ध में ऐसे भत्तों को आहरित के लिए हकदार होंगे।"

5. उक्त नियमों के नियम 8 में, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8. छुट्टी यात्रा रियायत :- अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य, अध्यक्ष के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 और पूर्णकालिक सदस्य के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों उसी दर पर लागू होते हैं, यात्रा रियायत छुट्टी के लिए हकदार होंगे।"

6. उक्त नियमों के नियम 14 में, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"14. टेलीफोन सुविधा : अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अध्यक्ष के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 और पूर्णकालिक सदस्य के मामले में वेतन मैट्रिक्स के 15 में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय है, टेलीफोन सुविधा के लिए पात्र होंगे।"

[फा. सं. 11/5/2014-पीआर]

डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 987(अ), तारीख 2 अगस्त, 2017 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

G.S.R. 07(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 51, read with sub-section (3) of Section 5, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) (Second Amendment) Rules, 2017.

   (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rule (2), for the words "three lakh and seventy five thousand rupees", the words "four lakh rupees" shall be substituted.

   Provided that the existing whole-time member shall be entitled to a salary under this rule with effect from the 1st day of January, 2016.

3. In rule 6 of the said rules, -

   (a) in sub-rule (1), for the words and brackets "in the Apex Grade [eighty thousand rupees (fixed) per month]'', the words "in level 17 of the pay matrix" shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), for the words "having any pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy-nine thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent.", the words "in level 15 of the pay matrix" shall be substituted.

4. In rule 7 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Chairperson and every whole-time member shall undertake tours outside India only in accordance with orders issued by the Central Government and they shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as applicable to the officers of the Central Government in level 17 of the pay matrix in the case of Chairperson and in level 15 of the pay matrix in the case of the whole-time member".

5. For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Leave travel concession.—The Chairperson and every whole-time member shall be entitled to leave travel concession at the same rate as are applicable to the officers of the Central Government in level 17 of the pay matrix in the case of Chairperson and in level 15 of the pay matrix in the case of the whole- time member".

6. For rule 14 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Telephone facility.—The Chairperson and the whole-time members shall be eligible for telephone facility as are admissible to the officers of the Central Government in level 17 of the pay matrix in the case of Chairperson and in level 15 of the pay matrix in the case of whole-time member".

[F. No. 11/05/2014-PR]

Dr. MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. G.S.R. 597(E), dated the 20th August, 2014 and subsequently amended by G.S.R. 987(E), dated the 2nd August, 2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.05 17:51:00 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.